न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 62/2022 (56/20)

1. रेशम कौर पत्नी स्व0 श्री शीतल सिंह जाति सैनी, निवासी चक 77 आरबी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर।
2. बलजिन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री शीतल सिंह पत्नी श्री जगतार सिंह , जाति सैनी हाल निवासी गांव 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री शीतल सिंह
4. समनदीप कौर पुत्री स्व0 श्री शीतल सिंह
5. अमनदीप कौर पुत्री स्व0 श्री शीतल सिंह
6. गगनदीप कौर पुत्री स्व0 श्री शीतल सिंह

जाति सैनी ,निवारीगण चक 77 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर।
3. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन, उपखण्ड रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित

1. श्री विनोद भाटी, एडवोकेट , अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडकन्टस

।। निर्णय ।। दिनांकः 22-07-2022

हस्तगत अपील प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी सं 01 रेशम कौर के पति तथा अपीलार्थी 02 ता 06 के पिता स्व0 शीतल सिंह के पास चक 77 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु0न0 9 पत्थर नं0 244/259 का कि0 न0 06 सालम कि0न0 7/2 में 0.177है0 व कि. न. 8 ता 12 सालम, कि.न. 13/2 में 0.177है0, कि0न0 14 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 4.908 है0 नहरी भूमि खातेदारी दर्ज जमाबन्दी थी। उक्त भूमि खातेदारी है तथा कि0न0 6,15,16,25 में 0.25 है0 भूमि खाला के लिए स्वीकृत है। मौका पर खाला चल रहा है परन्तु तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा आदेश दिनांक 12.06.2015 के द्वारा तथा चक 84 आरबी के काश्तकारों व जल संसाधन विभाग रेरपोडेन्ट सं 02 ता 04 से मिलकर उक्त खाला के साथ- साथ एक और अन्य खाला का निर्माण करने के लिए अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिए बिना बुलाए व बिना सुने अपीलार्थीगण की भूमि मे से दो-दो विस्वा भूमि को खाला के लिए स्वीकृत कर दिया और न ही किसी प्रकार की खाला की भूमि के बदले में कोई भूमि ही अपीलार्थीगण को दी गई है। तहसीलदार राजस्व रायसिहनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 एवं इस आदेश के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित इंतकाल सं 460 दिनांक 17.06.2015 विरूद्ध कानून, अभिलेख एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तों के होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

अति जिला कलक्टर (सतर्कता
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि अपीलार्थीगण को बिना विधिवत् सूचना दिए व बिना सुने अपीलार्थीगण की भूमि मे से दो–दो बिस्वा भूमि को खाला के लिए स्वीकृत कर दिया और न ही किसी प्रकार की खाला की भूमि के बदले में कोई भूमि ही अपीलार्थीगण को दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 एवं इस आदेश के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित इंतकाल सं 460 दिनांक 17.06.2015 विधि विरूद्व होने, अभिलेख एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तों के होने विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी काश्तकार की भूमि में से रास्ता या पाइपलाइन या खाला का निर्माण किया जाता है तो उसे भूमि के बदले भूमि या डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जमा करवानी होती है परन्तु आदेश में अपीलार्थीगण के पक्ष में ऐसा कुछ नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 की उप–धारा 69 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पटवारी की रिपोर्ट मंगवा कर व काश्तकार को सुन कर ही आगे की कार्यवाही की जावेगी परन्तु अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने व बिना नोटिस दिए ही पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक 1647 दिनांक 12.06.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि में खाला के सम्बन्ध में इन्तकाल सं 460 दिनांक 17.06.2015 को दर्ज किया गया, को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि तहसीलदार राजस्व रायसिहनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 एवं इस आदेश के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित इंतकाल सं 460 दिनांक 17.06.2015 विरूद्व कानून, अभिलेख एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तों के होने के कारण निरस्त करने योग्य है। खाले की स्वीकृति का अनुमोदन जिला कलक्टर महोदय से नहीं करवाया गया है इसलिए भी अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि चक 77 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु0न0 9 पत्थर नं0 244/259 का कि0 न0 06 सालम, कि0न0 7/2 में 0.177है0 व कि.न. 8 ता 12 सालम, कि.न. 13/2 में 0.177है0, कि0न0 14 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 4.908 है0 नहरी भूमि खातेदारी दर्ज़ राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलार्थी संख्या 1 रेशम कौर के पति व अपीलार्थी संख्या 2 ता. 6 के पिता शीतल सिंह की मृत्यु दिनांक 04.03.2018 को होने के बाद विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम जरिये विरासतन इतंकाल संख्या 496 दिनांक 28.03.2018 से आई। उक्त भूमि खातेदारी है तथा मौका पर किला नं. 6, 15, 16, 25 में 0.225 हैक्टेयर भूमि खाला के लिए स्वीकृत है और मौके पर खाला चल रहा है। जब मौके पर लगभग 20 वर्ष पूर्व से ही कि0 नं0 6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा भूमि में खाला चल रहा था तो अब उसके साथ साथ 2–2 बिस्वा भूमि में और खाला बनाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2015 के द्वारा चक 84 आरबी में उक्त खाला के साथ– साथ एक और अन्य खाला का निर्माण करने के लिए अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिए बिना विधिवत् सुनवाई किए अपीलार्थीगण की भूमि मे से दो–दो बिस्वा भूमि को खाला के लिए स्वीकृत कर दिया और न ही स्वीकृत खाले का अनुमोदन जिला कलक्टर महोदय से करवाया गया है एवं न ही किसी प्रकार की खाला की भूमि के बदले में कोई भूमि ही अपीलार्थीगण को दी गई है। तहसीलदार राजस्व

Scanned with CamScanner

आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित इंतकाल सं 460 दिनांक 17.06.2015 विधिविरूद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरीत होने से अपास्त किया जाने विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 460 दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 22/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अंलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner